

कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र।

पत्र संख्या: 2017/30470/बीडीएन/बदायूँ/183/डी0डी0 / 836

दिनांक: जून 02 2017

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद बदायूँ।

विषय: खसरा संख्या:282 ग्राम शेखुपूर तहसील व जनपद बदायूँ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मैसर्स किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक:349 (4)/ई0आर0के0/पैट्रो0/2017

दिनांक:26.04.2017

महोदय,

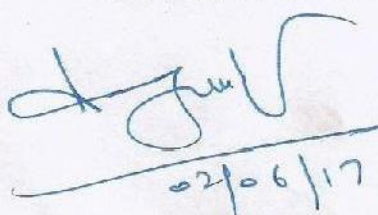
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा खसरा संख्या:282 ग्राम शेखुपूर तहसील व जनपद बदायूँ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मैसर्स किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

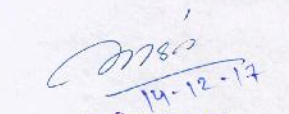
उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, बदायूँ श्री विशाल सिंह यादव द्वारा किया गया तो उनकी निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक:24.05.2017 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बदायूँ श्री आर0के0 बाजपेयी की परीशीलन संस्तुति आख्या दिनांक:25.05.2017 के अनुसार प्रस्तावित स्थल 36.00 मीटर चौड़े मथुरा रोड-कादर चौक मार्ग पर मानचित्रों के अनुसार स्थित है, जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ-जा सकते हैं। प्रश्नगत स्थल मानचित्रों के अनुरूप है। प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाई/लोटेशन विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र पैट्रोलियम रूल्स-2002 के अनुरूप पाये गये। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

अतः खसरा संख्या:282 ग्राम शेखुपूर तहसील व जनपद बदायूँ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मैसर्स किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

- 1- प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पैट्रोलियम रूल्स-1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स तथा रिटेल आउटलेट विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेंगे।
- 2- प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाईटेशन या लोटेशन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।
- 3- प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....02


02/06/17


14-12-17
राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोल्ले स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
एन०/२४ गेट पकवाड़ा, मुरादाबाद

4- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी/आग उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके सम्बन्ध में समुचित उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।

5- प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक तथा आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं० की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

6- प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ.आई.एस.डी. स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माण कराये जाने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु अग्निशमन सुरक्षाओं का निर्देश निर्गत किये जायेंगे जिन्हे पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

कुल 01 वर्क

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- मुख्य अग्निशमन अधिकारी बदायूँ ।
- 2- प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बदायूँ।
- 3- श्री पारितोष कोतवाल, सेल्स आफिसर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०, बदायूँ।

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

राजीव टन्डन
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (एम०डी०)
मुरादाबाद मंडल कार्यालय
कोलड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड
मुरादाबाद 24 जेट पार्कवाड़ा, मुरादाबाद